

25.574

31/05



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 6, मंगलवार, शाके 1938-अप्रैल 26, 2016

Vaishakha 6, Tuesday, Saka 1938-April 26, 2016

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम, एव संस्कृत शिक्षा विभाग

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग-5), शासन विभाग, जयपुर

(ग्रुप-2)

प्रम. नं. 1671

अधिसूचना

दिनांक 11-05-16

जयपुर, अप्रैल 26, 2016

संख्या प. 2 (24) विधि/2/2016-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

**राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016**  
(2016 का अधिनियम संख्यांक 14)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में विद्यालयों द्वारा फीस के संग्रहण का विनियमन करने और इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सदस्यत्व वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**अध्याय 1**

**प्रारम्भिक**

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 है।
- (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।
- (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।



2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "शैक्षणिक वर्ष" से इस रूप में विहित बारह मास की कोई कालावधि अभिप्रेत है, और विद्यालयों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न शैक्षणिक वर्ष विहित किये जा सकेंगे;

(ख) "सहायताप्राप्त विद्यालय" से राज्य सरकार से सहायता के रूप में कोई भी धन राशि प्राप्त करने वाला विद्यालय अभिप्रेत है;

(ग) "उप-निदेशक" से शिक्षा उप-निदेशक या प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्यरत राज्य सरकार द्वारा इस रूप में पदाभिहित कोई भी समतुल्य अधिकारी, या राज्य सरकार के किसी अन्य निदेशालय का उप-निदेशक, जिसे राज्य में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य न्यस्त किया गया है, अभिप्रेत है;

(घ) "निदेशक" से शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस रूप में पदाभिहित कोई भी समतुल्य अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक), शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), या राज्य सरकार के किसी अन्य निदेशालय का निदेशक, जिसे राज्य में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य न्यस्त किया गया है, सम्मिलित है;

(ङ) "जिला शिक्षा अधिकारी" से जिला शिक्षा अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस रूप में पदाभिहित कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) और जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) सम्मिलित है;



- (च) "खंडीय फीस विनियामक समिति" से धारा 7 के अधीन गठित खंडीय फीस विनियामक समिति अभिप्रेत है;
- (छ) "प्रारम्भिक शिक्षा" से पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है;
- (ज) "फीस" से किसी विद्यालय द्वारा किसी भी कक्षा या अध्ययन के पाठ्यक्रम में किसी छात्र के प्रवेश के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगृहीत कोई भी रकम, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है;
- (झ) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (ञ) "सरकारी विद्यालय" से सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या अनुरक्षित कोई विद्यालय अभिप्रेत है;
- (ट) "स्थानीय प्राधिकरण" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित कोई नगरपालिका या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन गठित कोई पंचायती राज संस्था अभिप्रेत है;
- (ठ) किसी विद्यालय के संबंध में, "प्रबंध" से राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं. 19) की धारा 9 के अधीन गठित प्रबंध समिति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का निकाय, समिति या कोई भी अन्य शासी निकाय, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, जिसमें किसी विद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध या प्रशासन करने की शक्ति निहित है, सम्मिलित है;
- (ड) "अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था" से सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) के अधीन ऐसा करने का अधिकार रखने



वाले अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित है, अभिप्रेत है;

(ढ) "माता-पिता-अध्यापक संगम" से धारा 4 के अधीन गठित माता-पिता-अध्यापक संगम अभिप्रेत है;

(ण) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(त) "निजी विद्यालय" से ऐसा कोई विद्यालय अभिप्रेत है जो किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित हो, और जो राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं. 19) की धारा 2 के खण्ड (थ) के अर्थान्तर्गत कोई मान्यताप्राप्त संस्था हो, किन्तु इसमें-

(i) कोई सहायताप्राप्त विद्यालय; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित कोई विद्यालय, सम्मिलित नहीं है;

(थ) "राजस्व खंड" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 15 के अधीन गठित कोई खंड अभिप्रेत है;

(द) "पुनरीक्षण समिति" से धारा 10 के अधीन गठित पुनरीक्षण समिति अभिप्रेत है;

(ध) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(न) "विद्यालय" से सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और किसी भी प्रबंध द्वारा प्रबंधित और किसी भारतीय या विदेशी पाठ्यक्रम या बोर्ड से संबद्ध, प्रारम्भिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय, चाहे सहायताप्राप्त, आंशिक रूप से सहायताप्राप्त और सहायता न पाने वाला हो, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था द्वारा चलाये जाने वाला



विद्यालय सम्मिलित है, किन्तु इसमें केवल धार्मिक अनुदेश प्रदान करने वाला कोई विद्यालय सम्मिलित नहीं है, अभिप्रेत है;

(प) "विद्यालय स्तरीय फीस समिति" से धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन गठित विद्यालय स्तरीय फीस समिति अभिप्रेत है;

(फ) "माध्यमिक शिक्षा" से नवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है; और

(ब) "वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा" से ग्यारहवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है।

#### अध्याय 2

अधिक फीस के संग्रहण का प्रतिषेध और फीस का अवधारण

3. अधिक फीस के संग्रहण का प्रतिषेध - कोई विद्यालय स्वयं या इसके निमित्त इस अधिनियम के अधीन नियत या अनुमोदित फीस से अधिक कोई फीस संगृहीत नहीं करेगा।

4. माता-पिता-अध्यापक संगम - (1) (क) प्रत्येक निजी विद्यालय माता-पिता-अध्यापक संगम का गठन करेगा।

(ख) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ से तीस दिवस के भीतर-भीतर विद्यालय के मुखिया द्वारा माता-पिता-अध्यापक संगम गठित किया जायेगा। विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक और विद्यालय के प्रत्येक छात्र का माता-पिता, माता-पिता-अध्यापक संगम का सदस्य होगा और ऐसे संगम के प्रत्येक सदस्य से नगरीय क्षेत्र की दशा में पचास रुपये और ग्रामीण क्षेत्र की दशा में बीस रुपये वार्षिक रकम संगृहीत की जायेगी।

(ग) माता-पिता-अध्यापक संगम का गठन हो जाने पर, विद्यालय स्तरीय फीस समिति गठित करने के लिए, इच्छुक माता-पिता की लाटरी, उनका लाट निकालकर, आयोजित की जायेगी और ऐसी लाटरी के एक सप्ताह पूर्व माता-पिता-अध्यापक संगम के सदस्य को नोटिस दिया जायेगा।



(2) (क) विद्यालय स्तरीय फीस समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,-

(i)	अध्यक्ष	-	ऐसे प्रबंध द्वारा नामनिर्दिष्ट निजी विद्यालय के प्रबंध का प्रतिनिधि;
(ii)	सचिव	-	निजी विद्यालय का प्रधानाचार्य;
(iii)	सदस्य	-	निजी विद्यालय के प्रबंध द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन अध्यापक;
(iv)	सदस्य	-	माता-पिता-अध्यापक संगम से पांच माता-पिता।

(ख) विद्यालय स्तरीय फीस समिति के सदस्यों की सूची, विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन से पन्द्रह दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और उसकी प्रति तत्काल संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रेषित की जायेगी।

(ग) विद्यालय स्तरीय फीस समिति की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष के लिए होगी और कोई सदस्य माता-पिता विद्यालय स्तरीय फीस समिति के सदस्य के रूप में उसकी अंतिम अवधि के अवसान से आगामी तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर लाटरी द्वारा लाट निकाले जाने का पात्र नहीं होगा।

(घ) विद्यालय स्तरीय फीस समिति तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी। विद्यालय स्तरीय फीस समिति की बैठक करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाये।

(ङ) माता-पिता-अध्यापक संगम की साधारण बैठक प्रति वर्ष 15 अगस्त से पूर्व कम से कम एक बार होगी। माता-पिता-अध्यापक संगम की बैठक करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये। माता-पिता-अध्यापक संगम ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसको समनुद्दिष्ट किये जायें और जो विहित किये जायें।

5. सरकारी विद्यालयों और सहायताप्राप्त विद्यालयों में फीस का नियतन.- सरकार सरकारी विद्यालयों और सहायताप्राप्त विद्यालयों में फीस ऐसी रीति से नियत करेगी जो सरकार द्वारा अवधारित की जाये।



6. निजी विद्यालयों में फीस का विनियमन:- (1) निजी विद्यालयों का प्रबंध ऐसे विद्यालयों में फीस प्रस्तावित करने के लिए संक्षम होगा।

(2) विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन पर, प्रबंध, आगामी शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ से कम से कम छह मास पूर्व सुसंगत अभिलेख सहित प्रस्तावित फीस के ब्यौरे विद्यालय स्तरीय फीस समिति को इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। अनुमोदन देते समय विद्यालय स्तरीय फीस समिति को नये सिरे से फीस की रकम विनिश्चित करने का प्राधिकार होगा।

(3) धारा 8 के अधीन अधिकथित समस्त सुसंगत कारकों पर विचार करने के पश्चात्, विद्यालय स्तरीय फीस समिति उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तावित फीस के ब्यौरे और अभिलेख की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर फीस का अनुमोदन करेगी और इस प्रकार अनुमोदित फीस के ब्यौरे तत्काल प्रबंध को लिखित में संसूचित करेगी। विद्यालय स्तरीय फीस समिति द्वारा इस प्रकार अनुमोदित फीस के ब्यौरे हिंदी, अंग्रेजी और विद्यालय के अपने-अपने माध्यम में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जायेंगे, और यदि ऐसे विद्यालय की स्वयं की वेबसाइट है, तो ये उस पर प्रदर्शित किये जायेंगे और ये तीन शैक्षणिक वर्ष के लिए आबद्ध रहेंगे।

(4) विद्यालय स्तरीय फीस समिति भिन्न-भिन्न शीर्ष उपदर्शित करेगी जिनके अधीन फीस उद्घोषित की जायेगी।

(5) यदि विद्यालय स्तरीय फीस समिति, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर फीस विनिश्चित करने में असफल रहती है तो प्रबंध, विद्यालय स्तरीय फीस समिति को, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, सूचना के अधीन, मामले को तत्काल खंडीय फीस विनियामक समिति को उसके विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा। निर्देश के बंबित रहने के दौरान, खंडीय फीस विनियामक समिति के अंतिम विनिश्चय होने तक प्रबंध को पूर्व शैक्षणिक वर्ष की फीस में दस प्रतिशत वृद्धि करके, ऐसी फीस के संग्रहण की स्वतंत्रता होगी।

(6) खंडीय फीस विनियामक समिति, विरोधी पक्षकार को सुने जाने का अवसर दिये जाने के पश्चात्, अपील या निर्देश को यथासंभव



इसके फाइनल किये जाने की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर विनिश्चित करेगी।

(7) अपील या निर्देश में खंडीय फीस विनियामक समिति के विनिश्चय से व्यथित प्रबंध या विद्यालय स्तरीय फीस समिति ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर पुनरीक्षण समिति के समक्ष, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपील कर सकेगी।

7. खंडीय फीस विनियामक समिति का गठन.- (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक राजस्व खंड के लिए खंडीय फीस विनियामक समिति गठित करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (क) खंड आयुक्त - अध्यक्ष;
- (ख) उप-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा - सदस्य;
- (ग) निदेशक, संस्कृत शिक्षा का नामनिर्देशित - सदस्य;
- (घ) राजस्व खंड मुख्यालय पर स्थित जिला कोष का कोषाधिकारी - सदस्य;
- (ङ) उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा - पदेन सदस्य-सचिव;
- (च) निजी विद्यालयों के दो प्रतिनिधि जो खंड आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायें - सदस्य;
- (छ) माता-पिता के दो प्रतिनिधि जो खंड आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायें - सदस्य।

(2) (क) निजी विद्यालयों और माता-पिता के प्रतिनिधियों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए होगी और किसी भी कारण से उससे पूर्व रिक्ति होने की दशा में, पदावधि की शेष कालावधि के लिए ऐसी रिक्ति भरी जायेगी।

(ख) निजी विद्यालयों और माता-पिता के प्रतिनिधि पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।



(ग) निजी विद्यालयों और माता-पिता के प्रतिनिधि खंड आयुक्त को लिखित में संबोधित करते हुए पद त्याग सकेंगे और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकृत होने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा और रिक्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर भरा जायेगा।

(घ) निजी विद्यालयों और माता-पिता के किसी प्रतिनिधि को, यदि वह ऐसा कार्य करता है जो खंड आयुक्त की राय में खंडीय फीस विनियामक समिति के सदस्य के संबंध में अशोभनीय है, हटाया जा सकेगा।

परन्तु निजी विद्यालयों या माता-पिता के किसी प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर दिये बिना खंडीय फीस विनियामक समिति से नहीं हटाया जायेगा।

(ड) निजी विद्यालयों और माता-पिता के प्रतिनिधियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

8. फीस के अवधारण के कारक.- किसी विद्यालय द्वारा उद्घुणीय फीस का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित कारक ध्यान में रखे जायेंगे, अर्थात्:-

(क) विद्यालय की अवस्थिति;

(ख) गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रों को उपलब्ध करवायी गयी अवसंरचना, उपलब्ध करायी गयी और विद्यालय के प्रोस्पेक्टस या वेबसाइट में यथा उल्लिखित सुविधाएं;

(ग) विद्यालय के शिक्षा मानदंड, जो राज्य सरकार विहित करे;

(घ) प्रशासन और रख-रखाव पर व्यय;

(ड) प्रबंध द्वारा, पूर्त कार्य के रूप में अनिवासी भारतीयों से प्राप्त आधिक्य निधि और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विद्यालयों को फीस माफ करने के लिए या विभिन्न सरकारी स्कीमों के अधीन अन्य मदों के लिए, सरकार द्वारा अभिदाय;



- (घ) मानदंडों के अनुसार अर्हित अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारिवृन्द और उनके वेतन घटक;
- (छ) वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए युक्तियुक्त रकम;
- (ज) विद्यालय की कुल आय में से छात्रों पर उपगत व्यय;
- (झ) शिक्षा के विकास और विद्यालय के विस्तार के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त अधिशेष राजस्व; और
- (ञ) कोई भी अन्य कारक जो विहित किया जाये।

#### 9. खंडीय फीस विनियामक समिति की शक्तियां और कृत्य - (1)

खंडीय फीस विनियामक समिति की शक्तियां और कृत्य, विद्यालय प्रबंध द्वारा छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस के संबंध में, प्रबंध और माता-पिता-अध्यापक संगम के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन करना है।

(2) खंडीय फीस विनियामक समिति, माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को, किसी निजी विद्यालय या ऐसे विद्यालय के प्रबंध से संबंधित किन्हीं भी परिसरों में प्रवेश करने के लिए, प्राधिकृत कर सकेगी, यदि खंडीय फीस विनियामक समिति यह आवश्यक पाये, और ऐसे विद्यालय या प्रबंध से संबंधित किन्हीं अभिलेखों, लेखाओं, रजिस्ट्रों और अन्य दस्तावेजों की तलाशी, निरीक्षण और अभिग्रहण कर सकेगी जहां तक ऐसे अभिलेख, लेखे, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज, उक्त समिति के समक्ष विवाद को विनिश्चित करने के लिए आवश्यक और सुसंगत है। तलाशियों और अभिग्रहणों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों पर लागू होंगे।

(3) खंडीय फीस विनियामक समिति, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी, और उसे इस अधिनियम के अधीन कोई भी जांच करने के प्रयोजन के लिए किसी वाद का विचारण करते समय, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:-

- (i) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;



(ii) किसी भी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया

जाना;

(iii) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य की प्राप्ति;

(iv) साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(4) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में खंडीय फीस विनियामक समिति द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा। खंडीय फीस विनियामक समिति का आदेश उसके समक्ष कार्यवाही के पक्षकारों पर तीन शैक्षणिक वर्ष के लिए बाध्यकारी होगा। इसको किसी भी सिविल न्यायालय में, सिवाय अपील के, इस अधिनियम के अधीन गठित पुनरीक्षण समिति के समक्ष, प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

(5) विवाद का समाधान करते समय, खंडीय फीस विनियामक समिति, प्रबंध द्वारा अवधारित फीस के लिए कोई अन्तरिम स्थगन मंजूर नहीं करेगी। अपील या निर्देश के विनिश्चय पर खंडीय फीस विनियामक समिति, संबंधित छात्र को अधिक फीस के प्रतिदाय के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेगी। यदि प्रबंध ऐसे छात्र को अधिक फीस का प्रतिदाय करने में विफल रहता है तो खंडीय फीस विनियामक समिति, प्रबंध से ऐसी अधिक फीस भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए अग्रसर होगी और उसे ऐसे छात्र को संदत्त करेगी।

(6) खंडीय फीस विनियामक समिति, किसी निजी विद्यालय द्वारा उद्ग्रहणीय फीस अवधारित किये जाने पर अपने विनिश्चय से संबंधित पक्षकारों को संसूचित करेगी।

(7) खंडीय फीस विनियामक समिति के समक्ष अपील करने वाला प्रत्येक निजी विद्यालय अपील में के विनिश्चय की प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर लगायेगा और यदि ऐसे विद्यालय की वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट पर डालेगा।

(8) खंडीय फीस विनियामक समिति भिन्न-भिन्न शीर्ष उपदर्शित करेगी जिनके अधीन फीस उद्ग्रहीत की जायेगी।

(9) खंडीय फीस विनियामक समिति द्वारा पारित किये गये आदेश निजी विद्यालयों पर तीन शैक्षणिक वर्ष के लिए आबद्धकर होंगे। उक्त कालावधि की समाप्ति पर, निजी विद्यालयों को, इस अधिनियम में



अधिकथित प्रक्रिया अपनाते हुए, अपने फीस ढांचे में परिवर्तन का प्रस्ताव करने की स्वतंत्रता होगी।

10. पुनरीक्षण समिति का गठन.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य में एक पुनरीक्षण समिति गठित करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (क) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का प्रभारी - अध्यक्ष;  
सचिव
- (ख) माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रभारी - सदस्य;  
सचिव या उसका नामनिर्देशिती
- (ग) आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा - सदस्य;  
विभाग, राजस्थान
- (घ) आयुक्त/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा - सदस्य;  
विभाग, राजस्थान
- (ङ) आयुक्त/निदेशक, संस्कृत शिक्षा - सदस्य;  
विभाग, राजस्थान
- (च) निजी विद्यालयों के दो प्रतिनिधि जो - सदस्य;  
राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायें
- (छ) माता-पिता के दो प्रतिनिधि जो राज्य - सदस्य;  
सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायें
- (ज) शिक्षा विभाग का लेखाधिकारी - सदस्य;
- (झ) वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप- - पदेन सदस्य-  
5) विभाग सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए "प्रभारी सचिव" से विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, जब वह विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) (क) निजी विद्यालयों और माता-पिता के प्रतिनिधियों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए होगी और किसी भी कारण से उससे पूर्व रिक्ति होने की दशा में, पदावधि की शेष कालावधि के लिए ऐसी रिक्ति भरी जायेगी।



(ख) निजी विद्यालयों और माता-पिता के प्रतिनिधि पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ग) निजी विद्यालयों और माता-पिता के प्रतिनिधि सरकार को लिखित में संबोधित करते हुए पद त्याग सकेंगे और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकृत होने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा और रिक्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर भरा जायेगा।

(घ) निजी विद्यालयों और माता-पिता के किसी प्रतिनिधि को, यदि वह कोई ऐसा कार्य करता है, जो राज्य सरकार की राय में, पुनरीक्षण समिति के सदस्य के संबंध में अशोभनीय है, हटाया जा सकेगा:

परन्तु निजी विद्यालयों या माता-पिता के किसी प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर दिये बिना पुनरीक्षण समिति से नहीं हटाया जायेगा।

(ङ) निजी विद्यालयों और माता-पिता के प्रतिनिधियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

11. खंडीय फीस विनियामक समिति के कतिपय उपबंधों का पुनरीक्षण समिति पर लागू होना.- (1) धारा 6 की उप-धारा (6) और धारा 9 की उप-धारा (2) से (8) तक के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, पुनरीक्षण समिति पर लागू होंगे।

(2) पुनरीक्षण समिति का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा और तीन शैक्षणिक वर्ष के लिए पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। उक्त कालावधि की समाप्ति पर, धारा 6 में अधिकथित प्रक्रिया अपनाते हुए निजी विद्यालय अपने फीस ढांचे में परिवर्तन प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र है।

12. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- खंडीय फीस विनियामक समिति या पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य या इसके किसी अधिकारी के विरुद्ध, उसके द्वारा किये गये आदेश के क्रियान्वयन के लिए या किसी नियम या तदधीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित



किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

### अध्याय 3

#### लेखाओं का विनियमन और अभिलेखों का संधारण

13. लेखाओं का विनियमन.- सरकार, निजी विद्यालयों द्वारा लेखाओं के संधारण को ऐसी रीति से विनियमित कर सकेगी, जो विहित की जाये।

14. अभिलेखों का संधारण.- निजी विद्यालय अभिलेखों का संधारण ऐसी रीति से करेंगे जो विहित की जाये।

### अध्याय 4

#### अपराध और शास्तियां

15. अपराध और शास्तियां.- (1) जो कोई भी, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह दोषसिद्धि पर,-

(क) प्रथम अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित फीस के आधिक्य में ली गयी रकम का दोगुना, जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा;

(ख) द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती अपराधों के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा या इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित फीस के आधिक्य में ली गयी रकम का दोगुना, जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन दोषसिद्ध व्यक्ति अधिक फीस उस छात्र को, जिससे यह इस अधिनियम के उल्लंघन में संगृहीत की गयी थी, प्रतिदत्त करेगा।

(3) ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का बार-बार उल्लंघन करता है, किसी भी प्रबंध या, यथास्थिति, विद्यालय में पदाधिकारी बनने के लिए अपात्र होगा।



16. प्रबंध द्वारा अपराध:- (1) जहां इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन कोई अपराध किसी प्रबंध द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस प्रबंध के कारबार के संचालन के लिए उस प्रबंध का प्रभारी था, और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह प्रबंध भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती है।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन कोई अपराध किसी प्रबंध द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध प्रबंध के किसी पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया है तो ऐसा संबंधित पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

17. अपराधों का संज्ञान:- कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, ऐसे अधिकारी के, जो उप-निदेशक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हों, जिसे सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, द्वारा फाइल किये गये किसी परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।

#### अध्याय 5

##### प्रकीर्ण

18. निदेश जारी करने की शक्ति:- राज्य सरकार, किसी विद्यालय को इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से संगत ऐसे साधारण या विशेष निदेश जारी कर सकेगी जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए या उसमें अंतर्विष्ट या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या आदेशों के उपबंधों को प्रभावी



करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और विद्यालय प्रबंध ऐसे प्रत्येक निदेश का अनुपालन करेगा।

19. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की किसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या उसके ठीक अगले सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन किसी ऐसे नियम में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

20. अधिनियम का किसी अन्य अधिनियम के अतिरिक्त होना और अल्पीकरण में नहीं होना.- इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

21. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अवसर आने पर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कोई भी ऐसी बात कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।



(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

22. निरसन और व्यावृत्ति.- राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 14) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

मनोज कुमार व्यास,  
प्रमुख शासन सचिव।

# **LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**

## **(GROUP-II)**

### **NOTIFICATION**

Jaipur, April 26, 2016

No. F. 2 (24) Vidhi/2/2016.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vidhyalaya (Fees Ka Viniyaman) Adhinyam, 2016 (2016 Ka Adhinyam Shankhyank 14):-

(Authorised English Translation)

## **THE RAJASTHAN SCHOOLS (REGULATION OF FEE)**

**ACT, 2016**

(Act No. 14 of 2016)

[Received the assent of the Governor on the 25<sup>th</sup> day of April, 2016]

*An*

*Act*

*to provide for the regulation of collection of fee by schools in the State of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-



**CHAPTER I***Preliminary*

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Schools (Regulation of Fee) Act, 2016.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "academic year" means any period of twelve months prescribed as such and different academic years may be prescribed for different class of schools;

(b) "aided school" means a school receiving any sum of money as aid from the State Government;

(c) "Deputy Director" means the Deputy Director of Education or any equivalent officer working under the Director of Elementary Education/Director of Secondary Education, designated as such by the State Government, or Deputy Director of any other Directorate of the State Government, entrusted with the task of supervision of the schools imparting any kind of education in the State;

(d) "Director" means the Director of Education or any equivalent officer designated as such by the State Government and includes the Director of Education (Elementary), Director of Education (Secondary), or Director of any other Directorate of the State Government, entrusted with the task of supervision of the schools imparting any kind of education in the State;

(e) "District Education Officer" means the District Education Officer or any officer designated as such by the State Government and includes District Education Officer (Secondary) and District Education Officer (Elementary);



- (f) "Divisional Fee Regulatory Committee" means the Divisional Fee Regulatory Committee constituted under section 7;
- (g) "elementary education" means the education from first class to eighth class;
- (h) "fee" means any amount, by whatever name called, collected, directly or indirectly, by a school for admission of a pupil to any Standard or course of study;
- (i) "Government" means the State Government of Rajasthan;
- (j) "Government school" means a school established, owned or maintained by the Government or a local authority;
- (k) "local authority" means a Municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) or a Panchayati Raj Institution constituted under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);
- (l) "management", in relation to a school, means the committee of management constituted under section 9 of the Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act, 1989 (Act No. 19 of 1992) and includes any person, body of persons, committee or any other governing body, by whatever name called, in whom the power to manage or administer the affairs of a school is vested;
- (m) "minority educational institution" means the Government approved institution established and administered by minority having right to do so under clause (1) of article 30 of the Constitution of India;
- (n) "Parent-Teachers Association" means the Parent-Teachers Association constituted under section 4 ;
- (o) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act ;
- (p) "private school" means a school established and administered or maintained by any person or body of persons and which is a recognized institution within the meaning of clause (q) of section 2 of the



Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act, 1989 (Act No. 19 of 1992), but does not include-

- (i) an aided school; and
- (ii) a school established and administered or maintained by the Central Government or the State Government or any local authority;
- (q) "Revenue Division" means a division constituted under section 15 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);
- (r) "Revision Committee" means the Revision Committee constituted under section 10;
- (s) "rules" means the rules made under this Act;
- (t) "school" means the school imparting elementary, secondary and senior secondary education recognized by the Government and managed by any management and affiliated to any Indian or foreign course or Board, whether aided, partially aided, un-aided including the school run by the minority educational institution but does not include a school imparting religious instructions only;
- (u) "School Level Fee Committee" means the School Level Fee Committee constituted under clause (a) of sub-section (2) of section 4;
- (v) "secondary education" means the education from ninth class to tenth class; and
- (w) "senior secondary education" means the education from eleventh class to twelfth class.

## CHAPTER II

### *Prohibition of collection of excess fee and determination of fee*

**3. Prohibition of collection of excess fee.** No school itself or on its behalf shall collect any fee in excess of the fee fixed or approved under this Act.

**4. Parent-Teachers Association.-** (1) (a) Every private school shall constitute the Parent-Teachers Association.



(b) The Parent-Teachers Association shall be formed by the head of the school within thirty days from the beginning of each academic year. Every teacher of the school and parent of every student in the school shall be a member of the Parent-Teachers Association and an annual amount of rupees fifty, in case of urban area and rupees twenty, in case of rural area, shall be collected from each member of such association.

(c) On formation of the Parent-Teachers Association, a lottery shall be conducted by drawing a lot of the willing parents to constitute the School Level Fee Committee and a notice of one week before such lottery shall be given to the member of the Parent-Teachers Association.

(2) (a) The School Level Fee Committee shall consist of,-

(i)	Chairperson	-	representative of management of the private school nominated by such management;
(ii)	Secretary	-	Principal of the private school;
(iii)	Member	-	three teachers nominated by the management of private school;
(iv)	Member	-	five parents from Parent-Teachers Association.

(b) The list of members of the School Level Fee Committee shall be displayed on the notice board within a period of fifteen days from formation of the School Level Fee Committee and copy thereof shall forthwith be forwarded to the District Education Officer concerned.

(c) The term of the School Level Fee Committee shall be for one academic year and no parent member shall be eligible for drawing a lot by lottery within the period of next three years since the expiry of his/her last term as the member of the School Level Fee Committee.

(d) The School Level Fee Committee shall meet at least once in three months. The procedure to be followed for conducting the meeting of the School Level Fee Committee shall be such as may be prescribed.

(e) The Parent-Teachers Association shall have a general meeting at least once before the 15th August of every year.



The procedure to be followed for conducting the meeting of the Parent-Teachers Association shall be such as may be prescribed. The Parent-Teachers Association shall discharge such duties and perform such functions as may be assigned to it under this Act and as may be prescribed.

**5. Fixation of Fee in Government schools and aided schools.-** The Government shall fix the fee in Government schools and aided schools in the manner as may be determined by the Government.

**6. Regulation of fees in private schools.-** (1) The management of the private schools shall be competent to propose the fee in such schools.

(2) On the formation of the School Level Fee Committee, the management shall submit the details of the proposed fee along with the relevant record to the School Level Fee Committee for its approval at least six months before the commencement of the next academic year. While giving the approval, the School Level Fee Committee shall have the authority to decide the amount of fee afresh.

(3) After considering all the relevant factors laid down under section 8, the School Level Fee Committee shall approve the fee within a period of thirty days from the date of receipt of the details of the proposed fee and the record under sub-section (2) and communicate the details of the fee so approved in writing to the management forthwith. The details of the fee so approved by the School Level Fee committee shall be displayed on the notice board in Hindi, English and in the respective medium of school, and if such school has its own website it shall be displayed on the same and it shall be binding for three academic years.

(4) The School Level Fee Committee shall indicate the different heads under which the fee shall be levied.

(5) If the School Level Fee Committee fails to decide the fee within the period specified in sub-section (3), the management shall immediately refer the matter to the Divisional Fee Regulatory Committee for its decision under intimation to the School Level Fee Committee in such manner as may be prescribed. During the pendency of the reference, the management shall be at liberty to collect the fee of the previous academic year plus ten percent



increase in such fee till the final decision of the Divisional Fee Regulatory Committee.

(6) The Divisional Fee Regulatory Committee shall decide the appeal or reference as far as possible within the period of sixty days from the date of its filing after giving the opposite party an opportunity of being heard.

(7) The management or the School Level Fee Committee aggrieved by the decision of the Divisional Fee Regulatory Committee in appeal or reference may, within thirty days from the date of such decision, prefer an appeal before the Revision Committee in such manner as may be prescribed.

**7. Constitution of Divisional Fee Regulatory Committee.-** (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a Divisional Fee Regulatory Committee for each Revenue Division, which shall consist of the following members, namely:-

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| (a) Divisional Commissioner,   | - Chairperson;                 |
| (b) Deputy Director, Secondary Education   | - Member;                      |
| (c) Nominee of Director Sanskrit Education   | - Member;                      |
| (d) Treasury Officer of District Treasury situated at Revenue Division Headquarter | - Member;                      |
| (e) Deputy Director, Elementary Education  | - Ex-officio Member-Secretary; |
| (f) two representatives of private schools nominated by Divisional Commissioner    | - Member;                      |
| (g) two representatives of parents nominated by Divisional Commissioner            | - Member.                      |

(2) (a) The term of office of the representatives of private schools and parents shall be for a period of two years from the date of their nomination and in case of vacancy arising earlier, for any reason, such vacancy shall be filled for the remainder period of the term.



(b) The representatives of private schools and parents shall not be eligible for reappointment.

(c) The representatives of private schools and parents may resign from the office in writing addressed to the Divisional Commissioner and on such resignation being accepted, his office shall become vacant and may be filled in within a period of three month from the date of occurrence of vacancy.

(d) A representative of private schools and parents may be removed, if he does any act which, in the opinion of the Divisional Commissioner, is unbecoming of a member of Divisional Fee Regulatory Committee:

Provided that no representative of private schools or parents shall be removed from the Divisional Fee Regulation Committee without giving him an opportunity of being heard.

(e) The other terms and conditions for the service of the representatives of private schools and parents shall be such as may be prescribed.

**8. Factors for determination of fee.-** The following factors shall be considered while deciding the fee leviable by a school, namely:-

- (a) the location of the school;
- (b) the infrastructure made available to the students for the qualitative education, the facilities provided and as mentioned in the prospectus or web-site of the school;
- (c) the education standard of the school as the State Government may prescribe;
- (d) the expenditure on administration and maintenance;
- (e) the excess fund generated from non-resident Indians, as a part of charity by the management and contribution by the Government for providing free-ship in fee or for other items under various Government schemes given to the school for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class and Special Backward Class students;



- (f) qualified teaching and non-teaching staff as per the norms and their salary components;
- (g) reasonable amount for yearly salary increments;
- (h) expenditure incurred on the students over total income of the school;
- (i) reasonable revenue surplus for the purpose of development of education and expansion of the school; and
- (j) any other factor as may be prescribed.

**9. Powers and functions of Divisional Fee Regulatory Committee.-** (1) The powers and functions of the Divisional Fee Regulatory Committee shall be to adjudicate the dispute between the management and the Parent-Teachers Association regarding fee to be charged by the school management from the students.

(2) The Divisional Fee Regulatory Committee may authorize any officer not below the rank of the Head Master of Secondary School to enter any private school or any premises belonging to the management of such school, if the Divisional Fee Regulatory Committee finds so necessary, and search, inspect and seize any records, accounts, registers or other documents belonging to such school or the management in so far as such records, accounts, registers or other documents are necessary and relevant to decide the issues before the said Committee. The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) relating to searches and seizures shall apply, so far as may be, to searches and seizures under this section.

(3) The Divisional Fee Regulatory Committee shall regulate its own procedure, for the discharge of its functions, and shall, for the purpose of making any inquiry under this Act, have all powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) while trying a suit, in respect of the following matters, namely :-

- (i) the summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (ii) the discovery and production of any document;
- (iii) the reception of evidence on affidavits;
- (iv) the issue of commission for the examination of the witness;

(4) No order shall be passed by the Divisional Fee Regulatory Committee in the absence of the Chairperson. The



order of the Divisional Fee Regulatory Committee shall be binding on the parties to the proceedings before it for three academic years. It shall not be called in question in any civil court except by way of an appeal before the Revision Committee constituted under this Act.

(5) At the time of resolving the dispute, the Divisional Fee Regulatory Committee shall not grant any interim stay to the fee determined by the management. On decision in appeal or reference, the Divisional Fee Regulatory Committee may pass appropriate orders for refund of the excess fee to the student concerned. In case the management fails to refund the excess fee to such student, the Divisional Fee Regulatory Committee shall proceed to recover such excess fee from the management as an arrear of land revenue and pay the same to such student.

(6) The Divisional Fee Regulatory Committee shall, on determining the fee leviable by a private school, communicate its decision to the parties concerned.

(7) Every private school preferring an appeal before the Divisional Fee Regulatory Committee shall place the copy of decision in appeal on its notice board, and if such school has web-site, on its web-site ;

(8) The Divisional Fee Regulatory Committee shall indicate the different heads under which the fee shall be levied.

(9) The orders passed by the Divisional Fee Regulatory Committee shall be binding on the private school for three academic years. At the end of the said period, the private school shall be at liberty to propose changes in its fee structure by following the procedure as laid down under this Act.

**10. Constitution of Revision Committee.-** (1) The State Government shall by notification in the Official Gazette, constitute a Revision Committee in the State, which shall consist of the following members, namely:-

- (a) Secretary incharge of the Department - Chairperson;  
of Elementary Education
- (b) Secretary incharge of the Department - Member;  
of Secondary Education or his  
nominee



- (c) Commissioner/ Director of Secondary - Member;  
Education Department, Rajasthan
- (d) Commissioner/ Director of - Member;  
Elementary  
Education Department, Rajasthan
- (e) Commissioner/Director of Sanskrit - Member;  
Education, Rajasthan
- (f) two representatives of private schools - Member;  
nominated by the State Government
- (g) two representatives of parents - Member;  
nominated by the State Government
- (h) Accounts Officer of the Education - Member;  
Department
- (i) Senior Deputy Secretary, - Ex-officio  
Education (Group-5) Department Member-  
Secretary.

**Explanation.-** For the purpose of this sub-section, "Secretary incharge" means the Secretary incharge of the Department and includes an Additional Chief Secretary or Principal Secretary when he is incharge of the department.

(2) (a) The term of office of the representative of private schools and parents shall be for a period of two years from the date of their nomination and in case of vacancy arising earlier, for any reason, such vacancy shall be filled for the remainder period of the term.

(b) The representatives of private schools and parents shall not be eligible for reappointment.

(c) The representatives of private schools and parents may resign from the office in writing addressed to the Government and on such resignation being accepted, his office shall become vacant and may be filled in within a period of three month from the date of occurrence of vacancy.

(d) A representative of private schools or parents may be removed, if he does any act which, in the opinion of the Government, is unbecoming of a member of Revision Committee:

Provided that no representative of private schools or parents shall be removed from the Revision Committee without giving him an opportunity of being heard.



(e) The other terms and conditions of the service of the representatives of private schools and parents shall be such as may be prescribed.

**11. Application of certain provisions of Divisional Fee Regulatory Committee to the Revision Committee.-** (1) The provisions of sub-section (6) of section 6 and sub-sections (2) to (8) of section 9 shall *mutatis mutandis* apply to the Revision Committee.

(2) The decision of the Revision Committee shall be final and conclusive and shall be binding on the parties for three academic years. At the end of the said period the private school may be at liberty to propose changes in its fee structure by following the procedure as laid down in section 6.

**12. Protection of action taken in good faith.-** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Chairperson or member of the Division Fee Regulatory Committee or the Revision Committee or any officer of it, for executing any order made by it or in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under any rule or order made thereunder.

### CHAPTER III

#### *Regulation of Accounts and Maintenance of Records*

**13. Regulation of accounts.-** The Government shall regulate the maintenance of accounts by the private schools in such manner as may be prescribed.

**14. Maintenance of records.-** The private schools shall maintain the records in such manner as may be prescribed.

### CHAPTER IV

#### *Offences and Penalties*

**15. Offences and penalties .-** (1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder shall on conviction,-

- (a) for the first offence, be punishable with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh fifty thousand rupees or twice the amount taken in excess of the



fee as determined under this Act, whichever is higher ;

- (b) for the second or subsequent offences, be punishable with the fine which shall not be less than one lakh rupees or twice the amount taken in excess of the fee as determined under this Act, whichever is higher.

(2) The person convicted under this section shall refund the excess fee to the student from whom it was collected in contravention of this Act.

(3) The person who repeatedly contravenes the provision of this Act or the rules made thereunder shall be ineligible for holding official post in any management or school, as the case may be.

**16. Offences by management.-** (1) Where an offence under this Act or rules made thereunder is committed by a management, every person, who, at the time when the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the management for the conduct of the business of the management, as well as the management, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that, nothing contained in this sub-section shall render any person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he has taken due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act or rules made thereunder has been committed by a management and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributed to any neglect on the part of any office bearer, officer or servant of the management, such office bearer, officer or servant concerned shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

**17. Cognizance of offences.-** No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a complaint filed by such officer, not below the rank of Deputy Director of Education, as the Government may authorize in this behalf.



**CHAPTER V***Miscellaneous*

**18. Power to issue directions.-** The State Government may ~~issue to any school such~~ general or special directions consistent with the provision of this Act and the rules made thereunder as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act or for giving effect to any of the provisions contained therein or in any rules or orders made thereunder and the management of the school shall comply with every such direction.

**19. Power to make rules.-** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after they are made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which they are so laid or the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any such rule or resolves that any such rule should not be made, the rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

**20. Act in addition to and not in derogation of any other Act.-** The provision of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other Act for the time being in force.

**21. Power to remove difficulties.-** (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the State Government may as occasion arises, by an order published in the Official Gazette do anything not inconsistent with the provisions of this Act which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.




(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature.

**22. Repeal and saving.-** The Rajasthan Schools (Regulation of Collection of Fee) Act, 2013 (Act No. 14 of 2013) is hereby repealed.

मनोज कुमार व्यास,

**Principal Secretary to the Government.**



 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 30, सोमवार, शाके 1938-जून 20, 2016 <i>Jyaistha 30, Monday, Saka 1938-June 20, 2016</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 17, 2016

एस.ओ.41 :-राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 14) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा 1 जुलाई, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[संख्या प.एफ. 8(17) एजु-5/2004 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

नरेश पाल गंगवार,

शासन सचिव।

#### SCHOOL EDUCATION (GROUP-V) DEPARTMENT NOTIFICATION

Jaipur, June 17, 2016

S.O.41 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Rajasthan Schools (Regulation of Fee) Act, 2016 (Act No. 14 of 2016), the State Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of July, 2016 as the date, on which the said Act shall come into force.

[No. F.8(17) Edu-v/2004 PT]

By Order and in the name of the Governor,

Naresh Pal Gangwar,

Secretary to the Government.